फाईल सं .SFAC/RTI/1-2/42/2024-सामान्य प्रशासन आरटीआई सूचना / 1577

लघु कृषक कृषि व्यापार संघ,

पांचवा तल, एनऑडिटोरियम बिल्डिंग .आई.यू.सी.,

अगस्त क्रांति मार्ग, हौज़ खास, नई दिल्ली -110016

दिनांक :07.11.2025

सेवा में,

श्री रामपुरे वैजीनाथ बाबू,
प्लॉट नं. 45, धर्मराज नगर,
शंभुनाथ मंदिर, शेलागी,
सोलापुर, महाराष्ट्र- 413006

विषय : **जनसूचना अधिकार अधिनियम, कराने के संबंध में।के अंतर्गत सूचना उपलब्ध 2005**

महोदय,

आपके उपरोक्त संदर्भित पत्र संख्या SFABC/R/T/25/00029 दिनांक 06.10.2025 के संदर्भ में आपके द्वारा मांगी गई जानकारी हेतु निम्न टिप्पणियाँ प्रस्तुत की जा रही है-:

क्र.सं.	प्रश्न	टिप्पणी
1	ई-नाम योजना के बारे में विस्तृत जानकारी, चाहे वह स्थायी / अस्थायी हो या इस योजना का विवरण दर्शाने वाला अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराया जाए।	डिजिटलीकरण के माध्यम से ई-नाम को बढ़ावा देने के लिए परिचालन दिशानिर्देश एसएफएसी वेबसाइट पर दिए गए हैं: वेब लिंक https://enam.gov.in/web/assest/download/Revised-Operational-Guidelines-of-e-NAM.pdf
2	ई-नाम योजना को अस्थायी रूप से या स्थायी लागू किया जाना चाहिए। इसकी जानकारी सरकारी (केंद्र शासन) परिपत्रों एवं दस्तावेजों के साथ कानून सरकार परिपत्र की जानकारी देने का अनुरोध।	
3	इस योजना के तहत मार्केट कमेटी द्वारा श्रमिकों की अस्थायी नियुक्ति या इसे कैसे किया जाए, इसके बारे में दस्तावेजों के साथ कानूनी सरकारी (केंद्र शासन) परिपत्र की जानकारी देने का अनुरोध ये जानकारी महाराष्ट्र कृषि विपणन विभाग से प्राप्त नहीं हो पाई है	सूचना उपलब्ध नहीं

3. It is informed that the Central Information Commissioner in its Order No.CIC/AT/A/2006/00045 dated 21.04.2006 has conveyed that "the RTI Act does not cast on the public authority any obligation to answer queries in which a petitioner attempts to elicit answers to his questions with prefixes, such as, why, what, when and whether. The petitioner's right extends only to seeking information as defined in Section 2(f) either by pinpointing the file, document, paper or record etc., or by mentioning the type of information as may be available with the specified public authority."

4. Further, as per Government of India office memorandum no 1/4/2009- IR dated 05.10.2009 pertaining to Right to Information Act, 2005 published by Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions, Department of Personnel & Training "The Public Information Officer is not supposed to create information; or to

interpret information; or to solve the problems raised by the applicants; or to furnish replies to hypothetical questions."

यदि आप उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं, तो इस संबंध में निम्न प्रथम अपीलीय अधिकारी को संबोधित कर सकते है :

(प्रशान्त चन्द्र न.)
उप-निदेशक (प्रशासन)
लघु कृषक कृषि व्यापार संघ,
हौज़ खास, नई दिल्ली- 110016

भवदीय,

(रत्नेश कुमार चौधरी)
वरिष्ठ प्रबंधक (वित्त)